

नगरीय वित्त

खंड 7 सं० 1

मार्च , 2004

त्रैमासिक लघु पत्रिका, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

अरबन रिफॉर्म इन्सेन्टिव फंड (यूरिफ) - एक अद्यतन

यूरिफ का प्रावधान 2002-2003 के बजट में किया गया जिसमें आरंभिक राशि छः अरब रुपये थी जिसका उद्देश्य राज्यों को सुधार संबंधी नीतियों को लागू करने में सहायता देना था। भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति 28 जून, 2003 में दी गई। इसके प्रथम फेज में, निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने हेतु यूरिफ द्वारा राज्य सरकारों को प्रोत्साहन राशि देना था:-

- राज्य स्तर पर प्रस्ताव जारी कर अरबन लैंड सीलिंग एंड रेग्युलेशन एक्ट को रद्द करना;
- स्टाम्प ड्यूटी को फेज में कम करके 10वीं योजना के अंत तक 5 प्रतिशत के स्तर पर ले आना;
- किराया नियंत्रण कानून में संशोधन लाकर किराया नियंत्रण को समाप्त करना ताकि किराया मकानों के निर्माण में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा मिले;

इस अंक में

- अरबन रिफॉर्म इन्सेन्टिव फंड (यूरिफ) - एक अद्यतन
- कम्प्यूटरीकृत प्रॉपर्टी टैक्स एवं कर्नाटक द्वारा गलियों के नामकरण तथा संपत्ति की संख्या देने का मार्गदर्शन
- कर मुक्त म्यूनिसिपल बॉड - एक अद्यतन
- भारत में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये श्रेष्ठ कार्य
- मध्य प्रदेश के संदर्भ में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रभावों का मूल्यांकन
- सिटीज़ फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम (सी.सी.पी)
- उपयोग शुल्क को तर्कसंगत बनाने की ओर - जल आपूर्ति एवं मल-जल शुल्क में सुधार हेतु पंजाब का प्रयास
- संक्षेप में नगरीय अद्यःसंरचना विकास समाचार

- कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रक्रिया को आरंभ करना;
- प्रॉपर्टी टैक्स में संशोधन लाकर उसे स्थानीय निकायों के आय का प्रमुख स्रोत बनाना तथा इसे प्रभावी रूप से लागू करने की व्यवस्था भी करना जिससे संग्रहण की क्षमता 10वीं योजना के अंत तक 85 प्रतिशत की सीमा तक पहुँच जाय;
- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उचित उपयोग राशि वसूली की जाय जिसका उद्देश्य कार्य तथा देखरेख

में आये पूर्ण व्यय को 10वीं योजना के अंत तक जमा करना है; तथा

- नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा में डबल एन्ट्री सिस्टम आरंभ किया जाय।

यूरिफ के अन्तर्गत जारी राशि, राज्यों के प्रति, केन्द्र द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में होगी। पुनः धन के आबंटन में, कुल नगरीय जनसंख्या में राज्य विशेष के नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को आधार बनाया जाएगा। नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा ज्ञापन संधि कायम करके राज्य उपरोक्त सुधारों को लागू कर सकते हैं। वे राज्य जो सभी सात सुधारों को लागू नहीं करना चाहते हैं; वे सीमित सुधारों के प्रति ज्ञापन संधि से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक सुधार क्षेत्र को विशेष वरीयता प्रदान की गई है। ज्ञापन संधि पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद 50 प्रतिशत सुधार व्यय जारी कर दिया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार को निर्धारित मानदण्ड को प्राप्त करने के बाद किया जाता है।

क्रम सं०	सुधार क्षेत्र	प्रस्तावित वरीयता (यूरिफ के द्वारा जारी राशि में राज्य का प्रतिशत अंश)
1	अरबन लैंड सीलिंग एंड रेग्युलेशन एक्ट को रद्द करना	10
2	स्टाम्प ड्यूटी को तर्क संगत बनाना	20
3	किराया नियंत्रण कानून में संशोधन	20
4	कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रक्रिया का आरंभ	10
5	प्रॉपर्टी टैक्स में संशोधन	10
6	युक्तियुक्त रूप में उपयोग राशि की उगाही	20
7	नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा में डबल एन्ट्री सिस्टम का आरंभ	10

भारत सरकार नगरीय विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य समिति गठित करने की प्रक्रिया में है। यह समिति सुधार राशि को जारी करने से पूर्व इस बात का मूल्यांकन करेगी कि सुधारों के लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त किया गया है। अनेक राज्यों ने ज्ञापन संधि पर हस्ताक्षर किया है तथा सुधारों को लागू करने का संकल्प लिया है।

स्रोत: नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

कम्प्यूटरीकृत प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम एवं कर्नाटक द्वारा गलियों के नाम तथा संपत्ति की संख्या देने का मार्गदर्शन

कर्नाटक सरकार तथा ई-गवर्मेंट फाउण्डेशन ने सम्मिलित रूप से कर्नाटक के 56 नगरों में 2004 के अंत तक कम्प्यूटरीकृत प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को लागू करने का बीड़ा उठाया है। उनमें से 18 नगरों में, आयोजन एवं प्रशासन हेतु, भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) को लागू किया जाएगा। 450 मिलियन रुपये का यह प्रोजेक्ट अंशतः एशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी तथा सरकारी प्रक्रिया के सामान्यीकरण द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवा मुहैया कराना तथा नगरीय स्थानीय निकायों को अधिक पारदर्शी एवं जिम्मेवार बनाना है। इस प्रकार प्रभावी आज्ञापालन एवं संग्रहण द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम अधिक धन उगाह सकेगा।

ई-गवर्मेंट फाउण्डेशन ने बंगलोर महानगर पालिका के साथ मिलकर अक्टूबर 2003 तक बंगलोर के सभी 100 वार्डों में प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया है। ई-गवर्मेंट प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम के अन्तर्गत मूल्यांकन पुस्तिका के 5.39 लाख संपत्तियों तथा लगभग 12 लाख भुगतान अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। अब यह दोषमुक्त रीति से प्रॉपर्टी टैक्स का संग्रहण कर रही है। यह प्रणाली वित्तीय गणन प्रणाली से पूर्णतः एकीकृत है; जिस कारण, दैनिक जमा का लेखा तथा उसका स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है। पुनः इस प्रणाली द्वारा खाता सर्टिफिकेट बनाया जाता है तथा उसका निष्कर्षण समय पर टैक्स भुगतान करनेवाले नागरिकों को मुफ्त मुहैया किया जाता है। ई-गवर्मेंट प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम द्वारा समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान न करने वालों को नोटिस जारी किया जाता है जिसमें शुद्धता से बकाया राशि, दण्ड राशि, उपकरों तथा लाभांश आदि का विवरण रहता है। अंततः यह एक अत्यंत जटिल राजस्व प्रणाली एवं विभाग की स्थापना करता है जिससे बिना प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि किये हुए ही प्रॉपर्टी टैक्स संग्रहण में वृद्धि होती है।

जनगणना आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि बंगलोर महानगर पालिका की प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की क्षमता 7.5 लाख रुपये थी; किंतु वह मात्र 5.39 लाख रुपये ही जमा कर पायी। इसका तात्पर्य यह है कि 30 प्रतिशत प्रॉपर्टी का ब्यौरा मूल्यांकन पुस्तिका में

नहीं था। मूल्यांकित प्रॉपर्टीज़ में पाया गया कि मात्र 50 प्रतिशत लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर रहे थे।

प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण से, विशेष रूप से आज्ञापालन एवं एकीकरण के द्वारा राजस्व में वृद्धि होगी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) की मदद से 'दृश्य-निर्णय' के द्वारा नगरीय योजना एवं प्रशासन में मदद मिलेगी।

कम्प्यूटर में प्रत्येक प्रॉपर्टी की पहचान के लिये, नगरीय विकास विभाग, कर्नाटक सरकार ने गलियों के नामकरण तथा प्रॉपर्टी की संख्या को निर्धारित करने हेतु एक मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है ताकि बंगलोर एवं उसके आस पास के स्थानीय नगरीय निकायों के लिये ई-गवर्नेंस प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। वस्तुतः, ई-गवर्नेंस प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम कम्प्यूटर का व्यवहारिक उपयोग है जिसके द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के संग्रहण की व्यवस्था होती है जिसे अभी बंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चलाया जा रहा है। प्रत्येक प्रॉपर्टी की कम्प्यूटर में सही पहचान करने के लिये विशिष्ट आई.डी.-पी.आई.डी. की आवश्यकता होती है जो कि वार्ड, गली एवं म्यूनिसिपल संख्या पर आधारित होता है। भारत के अनेक राज्यों में गलियों के नाम नहीं हैं तथा प्रॉपर्टी की संख्या निर्धारित नहीं की गई है इसलिये वहाँ ई-गवर्नेंस टैक्स सिस्टम को लागू नहीं किया जा सकता है।

निर्देशिका में निर्देशक सिद्धान्तों का विवरण है कि किस प्रकार गलियों का नामकरण किया जाय जिसमें कुछ मुख्य बातों; यथा- केन्द्रीय संदर्भ बिंदु, आधार रेखा, मध्यान रेखा, गली की दिशा, नाम एवं सड़क के प्रकार का ध्यान रखा जाय। इसके साथ ही गलियों के खंड बनाने की अवधारणा, गली के पहलेवाले नाम को कायम रखने के नियम तथा प्रखंड स्तर पर गलियों के नामकरण की विधि का वर्णन है।

प्रॉपर्टी के नामकरण खंड के अन्तर्गत, विभिन्न संख्या प्रणाली की व्याख्या है, यथा- क्रमागत विधि, मैट्रिक विधि आदि। कर्नाटक सरकार ने संपत्ति के नामकरण के लिये क्रमागत विधि को अपनाया है। विवरणिका में दिशानिर्देश है कि किस प्रकार द्विविभाजन, एकीकरण, असमान घनत्व तथा कोने को खड़ी संख्या (ए./बी. आदि) द्वारा दर्शाया जाय। चूँकि नगरों में तेजी से अपार्टमेंट समूहों, तथा एक मंजिले मकानों की संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिये निर्देशिका में प्रॉपर्टी एवं फ्लैट की संख्या निर्धारित करने के लिये मानदण्ड निश्चित किये गये हैं।

एक सेक्सन विशेष रूप से मानचित्र एवं आँकड़ों पर ध्यान केन्द्रित करता है कि किस प्रकार गली के नाम आँकड़ों में समाहित किये जाएँ तथा नगर मानचित्र में उसे दर्शाया जाय। जन जागृति अभियान द्वारा नागरिकों को इन परिवर्तनों से परिचित कराया जा सकता है। गलियों के नामकरण के पश्चात् नगरों के लिये साइनपोस्ट भी निर्धारित होने चाहिये। बंगलोर ऐजेन्डा टास्क फोर्स (बी.ए.टी.एफ.) के निर्देशन में विभिन्न प्रकार के मानक साइनपोस्ट एवं साइनबोर्ड विकसित किये गये हैं। निर्देशिका की समाप्ति, क्रमिक रूप से पूरी प्रक्रिया को बतलाने वाले दो पृष्ठ के निर्देश से होता है।

श्रोत: ई-गवर्मेंट्स फाउण्डेशन एवं सिटी मैनेजर्स एशोसिएशन, कर्नाटक।

टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉण्ड - एक अद्यतन

भारत में म्यूनिसिपल बॉण्ड बाजार के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार निवेशकों को म्यूनिसिपल बॉण्ड में निवेश हेतु टैक्स संबंधी रियायतों पर सहमत हो गई है। निवेशकों के टैक्स संबंधी लाभ को नियमित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिशा निर्देशक जारी किया गया है जिसके तहत टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉण्ड योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अनुसार, 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर से होने वाले आय को इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 10(15)(vii) के तहत आय कर से मुक्त किया गया है।

टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉण्ड योजना को व्यवसायिक रूप से लाभकारी तथा नगरीय अधःसंरचना प्रोजेक्ट के संरचना एवं विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इसे म्यूनिसिपल बॉण्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को लाभान्वित करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। निम्न तालिका में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन/राज्य स्तरीय पेरास्टेटल एजेन्सी/राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों के स्वीकृत टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉण्ड राशि को दर्शाया गया है:-

नगरीय सरकार	प्रोजेक्ट	टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉण्ड द्वारा स्वीकृत राशि (मिलियन रुपये में)
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन	जल आपूर्ति एवं मल जल प्रोजेक्ट	1000.0
हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन	सड़क निर्माण एवं उसे चौड़ा करना	825.0
म्यूनिसिपल प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग, तमिलनाडु सरकार	तमिलनाडु जल एवं जल निकास राशि योजना	151.0
नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन	भूमिगत मल जल निकास स्कीम एवं जल बहाव प्रणाली	500.0
विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन	जल आपूर्ति प्रणाली	500.0
हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं मल जल बोर्ड	पेय जल प्रोजेक्ट	500.0
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन	जल आपूर्ति प्रोजेक्ट, जल बहाव प्रोजेक्ट, सड़क प्रोजेक्ट, पुल एवं उपरिपथ	500.0
चेन्नई महानगर जल आपूर्ति एवं मल जल बोर्ड	चेन्नई जल आपूर्ति संवर्धन प्रोजेक्ट	420.0

श्रोत: अनिरवन कुण्डु (रा.न.का.स)

भारत में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये श्रेष्ठ कार्य

1. सिटी सिविक सेन्टर्स एवं ई-गवर्नेंस, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन

पहल के पूर्व की परिस्थिति

अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (अमूका) को भारत के बेहतर प्रदर्शन करनेवाले स्थानीय नगरीय निकायों में देखा जाता है। अमूका ने यह अनुभव किया है कि किसी भी प्रकार की अक्षमता या अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त बुराई को प्रोत्साहन देने में वर्तमान सूचना व्यवस्था प्रणाली

में व्याप्त कमजोरी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसलिये, यह फैसला लिया गया कि कॉरपोरेशन के कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाकर इसे अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं नागरिकोन्मुखी बनाया जाय।

स्टॉफ एवं नागरिकों में सूचनाओं के सहज आदान प्रदान के लिये ई-गवर्नेंस को उपयोगी माना गया है। पुनः यह फैसला लिया गया है कि प्रस्तावित ई-गवर्नेंस सिस्टम के विकास में हर स्तर पर कॉरपोरेशन के सभी विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाय।

इस पहल की दूसरी प्राथमिकता अमूका के साथ नागरिकों का सहज संवाद कायम करना था। इसलिये, यह फैसला लिया गया कि एक विशिष्ट नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना नगर के प्रत्येक म्यूनिसिपल क्षेत्र में की जाय तथा ई-गवर्नेंस का अधिकतम लाभ लेने के लिये आवश्यक अधःसंरचना एवं सुविधाएँ उपलब्ध की जाय।

टास्क टीम का निर्माण तथा फ्लो चार्ट की तैयारी: अमूका में 42 अलग अलग विभाग हैं। टास्क टीम के निर्माण के लिये प्रत्येक विभाग से दो अधिकारियों को चुना गया है। इस टीम की मुख्य जिम्मेवारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हाथ से किये जाने वाले सभी कार्यों को क्रमिक रूप से फ्लो चार्ट द्वारा दर्शाना है। यह चार्ट एक फ्लो चार्ट के रूप में कार्य करेगी जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सेवा को फ्लो चार्ट द्वारा दर्शाया जाएगा। टास्क टीम में विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी होते हैं। इस फ्लो चार्ट को बनाने में करीब सात महीने लगे।

फ्लो चार्ट में संशोधन: फ्लो चार्ट बन जाने के उपरान्त अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड के द्वारा टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर की नियुक्ति की। टोसोप्रो के कार्यकर्ता टीम ने अमूका के टास्क टीम के साथ मिलकर फ्लो तालिका में संशोधन किये। इस कार्य का उद्देश्य हाथ से किये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया में लगने वाले कदमों की संख्या को न्यूनतम करना था।

सिस्टम रिक्वायर्मेंट स्पेसिफिकेशन (SRS) दस्तावेज की तैयारी: फ्लो चार्ट में संशोधन किये गये, आँकड़ों की मात्रा के लेनदेन का आकलन किया गया तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया। इस प्रकार उपलब्ध सूचनाओं को आधार बनाकर सिस्टम रिक्वायर्मेंट स्पेसिफिकेशन (SRS) की तैयारी होती है। इस दस्तावेज के अध्ययन के उपरान्त टास्क टीम पुनः इसके विभिन्न चरणों को संशोधित करती है ताकि पूर्ण सिस्टम के डिज़ाइन को कार्योपयोगी बनाया जा सके। इस कार्य में करीब एक महीने लगा।

अधःसंरचना: अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मकानों को रूपान्तरित कर नागरिक सेवा केन्द्रों में बदला गया तथा उसे वातानुकूलित बनाया गया है जिसमें आगन्तुकों के बैठने की भी व्यवस्था है। नागरिक सेवा केन्द्रों में लगे सुन्दर स्थलाकृतिक चित्र एक आनन्ददायी परिवेश को उत्पन्न करते हैं। अधःसंरचना में सुधार के लिये अमूका के परिसंपत्ति को ही नागरिक सेवा केन्द्रों में उपयोग करने की नीति एक कम खर्चीली विकल्प थी। पुनः अच्छे ब्राण्ड के कम्प्यूटर हार्डवेयर खरीदने का निर्णय भी लिया गया ताकि वारण्टी समय में रखरखाव की निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो जाय। अच्छे ब्रांड के कम्प्यूटर खरीदने का दूसरा कारण उसकी विश्वसनीयता थी।

सिस्टम डिज़ाइन: सिस्टम डिज़ाइन होने के बाद टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर द्वारा अलग अलग कार्य के लिये सॉफ्टवेयर तैयार किये गए। ये सभी कार्य टास्क टीम की उपस्थिति में संपन्न हुए। टास्क टीम तथा टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के बीच अच्छे समन्वय के कारण महीने भर में ही सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य पूर्ण हो गया। म्यूनिसिपल सेवाधारियों का सक्रिय सहभाग प्रोजेक्ट की तैयारी तथा उसके क्रियान्वयन के दौरान रहा; जिस कारण इस भावना का विकास हुआ कि यह उनका अपना प्रोजेक्ट है। यह भावना निश्चित रूप से अधिक उत्तरदायी रूप से इस सिस्टम के संचालन में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

सिस्टम का गठन: इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जनवरी, 2002 में हुई तथा प्रथम नागरिक सेवा केन्द्र का उद्घाटन 18 सितम्बर, 2002 में हुआ। मात्र 8 महीने के अंदर ई-गवर्नेंस की सुविधा का लाभ लोगों को मिलने लगा। ई-गवर्नेंस सिस्टम से जुड़े दो तथ्य हैं -

- नागरिकों एवं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच संवाद
- म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वयं के उपयोग के लिये नागरिकों के लिये डिज़ाइन किये गये सिस्टम द्वारा सीधे रूप से अनेक सेवाएँ प्राप्त करना संभव हो गया; यथा, शिकायत दर्ज करना, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण, प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, मोटरगाड़ी टैक्स का भुगतान, मकान बनाने की योजना की स्वीकृति, दुकान तथा प्रतिष्ठान के लिये लाइसेंस जारी करना तथा उसका नवीकरण आदि।

सभी छः नागरिक सेवा केन्द्र 43 म्यूनिसिपल वार्डों से इन्टरनेट द्वारा संबंधित तथा अंतर्संबंधित हैं। लोग किसी भी नागरिक सेवा केन्द्र में अपने शिकायत एवं असंतुष्टता दर्ज करा सकते हैं। पुनः नागरिकों को इन्टरनेट वेबसाइट (www.egovame.com) द्वारा नगरीय सेवा केन्द्र एवं वार्ड ऑफिस में संपर्क करने की सुविधा भी प्राप्त है।

कॉरपोरेशन के आंतरिक उपयोग के लिये उपलब्ध सिस्टम म्यूनिसिपल अधिकारियों के लिये मैनेजमेंट सूचना सिस्टम के रूप में कार्य करता है। विभागाध्यक्षों को इस सिस्टम के द्वारा कुल दर्ज शिकायत तथा उसकी स्थिति को जानने की सुविधा प्राप्त है। सरकारी सूचनाएँ एवं नोटिस इंटरनेट द्वारा भेजे जाते हैं। कर्मचारी भी अपने भविष्य निधि की सूचना ऑन लाइन पा सकते हैं।

अभिनव विशेषताएँ

उपयोगिता प्रेरित वेबसाइट (www.egovame.com): इंटरनेट द्वारा कम खर्च में लोगों तक पहुँचना संभव हो गया है। अमूका इंटरनेट तथा स्थानीय नेटवर्क से सूचना प्राप्त करने में यह एकमात्र खिड़की का कार्य करता है। इस वेबसाइट द्वारा एक ही स्थान पर बैठकर प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन, संबंधित प्रक्रियाएँ एवं सरकारी नियम तथा भवन निर्माण संबंधी नियम एवं कानूनों संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है। नगरीय सेवा केन्द्र नेटवर्क द्वारा मुख्य सूचना केन्द्र से जुड़े हैं जो कि अंततः ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल से जुड़े हैं; जिस कारण, कोई भी व्यक्ति अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट द्वारा जान सकता है।

प्रॉपर्टी टैक्स जमा: वेबसाइट पर एक सरलीकृत टैक्स जमा प्रणाली को रखा गया है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा टैक्स आकलन की विधि तथा किसी प्रापर्टी विशेष के प्रति संबंधित सूचनाओं का ब्योरा पा सकता है। हाथ से टैक्स आकलन की बजाय स्वचालित रूप से प्रॉपर्टी का आकलन हो रहा है। इस प्रकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस स्थिति में है कि प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने तथा अन्य कार्यों के प्रति लगने वाले समय का आकलन कर सके। पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिये लंबी लाइन लगती थी; किंतु, अब प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान छः

नागरिक सेवा केन्द्रों में से किसी में भी किया जा सकता है। स्थानीय बैंक भी अमूका के इंटरनेट से जुड़े हैं जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जा सकता है। अब प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नकद, चेक अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा हो सकता है।

चुंगी आँकड़ा मैनेजमेंट: सीमा पोस्ट पर चुंगी वसूल करने की स्वचालित विधि का विकास हो रहा है तथा शीघ्र ही इसके पूरी होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि इसके लागू होने के बाद चुंगी द्वारा प्राप्त होने वाली आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। चुंगी जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े आंतरिक प्रणाली को भी चुस्त किया गया है।

ऑटोमोबाइल टैक्स का भुगतान: अमूका ने अपनी व्यवस्था को आर.टी.ओ. आफिस तथा चुंगी जाँच केन्द्र से जोड़ रखा है। इस प्रकार ऑटोमोबाइल टैक्स से बच निकलने के प्रति यह एक प्रभावी रोक के रूप में कार्य कर रहा है। पुनः 'म्यूनिसिपल लाइफ लाइन ऑटोमोबाइल टैक्स' को जमा करने की विधि का भी विकेंद्रीकरण हुआ है। अब इस टैक्स का भुगतान छः में से किसी भी एक सेवा केन्द्र में किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी इसके भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

आई.सी.आई.सी.आई बैंक द्वारा अमूका के वित्त एवं अकाउण्ट की देखरेख आई.सी.आई.सी.आई बैंक एवं अमूका के नेतृत्व में संपूर्ण भुगतान तथा संपूर्ण जमा सिस्टम में व्यापक वृद्धि हुई है। इस सिस्टम द्वारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित नागरिकों, भवन निर्माताओं, ठेकेदारों तथा दूसरे वर्ग के संबंधित लोगों में विश्वास एवं सद्भावना का विकास किया है।

ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली: अमूका के सभी 42 वार्ड इंटरनेट तथा इंटरनेट द्वारा जुड़े हैं जहाँ नागरिक सेवा या म्यूनिसिपल बकाया से संबंधित शिकायत दर्ज होती है तथा उसका निराकरण होता है। शिकायत करने के साथ ही उपभोक्ता को एक शिकायत संख्या दे दी जाती है, जिस संख्या के द्वारा शिकायत करनेवाला व्यक्ति शिकायत की वर्तमान स्थिति तथा उसपर किये गए फैसलों के बारे में जान सकता है। शिकायतकर्ता अन्य जानकारी एवं सलाह ऑन लाइन ले सकता है। ऑन लाइन दर्ज की जाने वाली शिकायत कमिश्नर द्वारा स्वीकार की जाती हैं जिसे स्वचालित रूप से संबंधित अधिकारी तक भेज दिया जाता है। पुनः शिकायतें आँकड़ा संग्रहण के लिये भी भेज दी जाती हैं जिससे जटिल जाँच प्रक्रिया तथा विवादों को सुलझाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त सूचना मिल जाती है।

ऑन लाइन भवन निर्माण योजना की स्वीकृति: सभी नागरिक सेवा केन्द्रों को इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि वे सामान्य विकास एवं नियंत्रण कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर तत्काल छानबीन कर भवन निर्माण योजना को स्वीकृति दे सकें। वेबसाइट पर सामान्य विकास एवं नियंत्रण कानून को देखा या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त किया

जा सकता है। पुनः ऑन लाइन आवेदन पत्र को मँगाया तथा उसे जमा भी कराया जा सकता है। अमूका के अन्तर्गत पंजीकृत सभी संरचनात्मक इंजीनियर के विवरण अमूका वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सुविधा द्वारा आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

दुकान एवं प्रतिष्ठान के लिये लाइसेंस: नागरिक सेवा केन्द्रों द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान के लिये तत्काल लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस का नवीकरण भी सभी काउण्टरों पर होता है। ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिये साइनबोर्ड एवं होर्डिंग शुल्क इकट्ठा करना सरल हो जाता है। नगरों में ई-गवर्नेंस की सुविधा के पूर्व इन्हीं कार्यों को हाथ से करना तथा उसका निरीक्षण अत्यंत जटिल था।

अधःसंरचना से संबंधित कार्य एवं ठेकों के प्रति ऑन-लाइन सूचना: ठेका जारी करने की प्रक्रिया, अधःसंरचना से संबंधित कार्यों की स्वीकृति तथा संख्या के अन्दर उसकी तैयारी आदि कार्यों का कम्प्यूटरीकरण हो गया है। संपूर्ण माड्युल वेबसाइट से जुड़ा है ताकि लोग अपने क्षेत्र में हुए अधःसंरचना से संबंधित कार्यों की सूचना पा सकें।

इंजीनियरिंग माड्युल: योजना एवं प्रोजेक्ट की स्वीकृति तथा संगठनात्मक एवं व्यवस्थापक कार्यों से संबंधित एक प्रभावी माँड्युल का विकास किया गया है जिससे बजट एवं धन की उपलब्धता के आधार पर स्वतः ही स्वीकृति मिल जाती है। वार्ड अधिकारी इंटरनेट द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वार्षिक बजट हेतु स्वीकृति पा सकते हैं। इस तंत्र के विकास का उद्देश्य प्रोजेक्ट योजना एवं उससे संबंधित विभागों में व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करना था।

उपलब्धियाँ

प्रॉपर्टी टैक्स की जमा राशि: 2002-03 में कुल जमा प्रॉपर्टी टैक्स 1300 मिलियन रुपये था जो अमूका द्वारा अब तक जमा की हुई राशि से सर्वाधिक थी। कॉरपोरेशन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमूका ने वर्ष के अंत में अपना टैक्स अकाउण्ट बंद किया।

चुंगी द्वारा प्राप्त जमा राशि: अमूका ने 2002-2003 में अब तक का सर्वाधिक 3630 मिलियन रुपये की चुंगी वसूल की। ऐसा अनुमान है कि पूर्णतः स्वचालित चुंगी स्टेशन बन जाने के बाद चुंगी वसूली में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मोटरगाड़ी टैक्स द्वारा प्राप्त जमा राशि: अब मोटरगाड़ी टैक्स का भुगतान किसी भी नागरिक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी चुंगी स्टेशन पर हो सकता है। नागरिक जमा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के कारण टैक्स चुकाने वालों के लिये टैक्स चुकाना अधिक सरल हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप, छः महीने के अंदर मोटरगाड़ी टैक्स से अतिरिक्त 20 मिलियन रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है।

अमूका के वित्त एवं अकाउण्ट के संरक्षक के रूप में आई.सी.आई.सी.आई.बैंक: इस व्यवस्था द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 400 मिलियन रुपये की बचत हुई है। अमूका के खाते से ठेकेदार के खाते में शीघ्रता से धन पहुँचाने के कारण प्रोजेक्ट कोटे में 10 प्रतिशत की कमी आई है। बैंक द्वारा जारी चेकों के दैनिक मान्यीकरण एवं भुगतान के कारण चेकों के अमान्यीकरण के द्वारा होने वाले हानि को कम किया जा सका है।

2. इनर्जी एफिसिएन्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन

समरूप प्रकाशीय व्यवस्था भले ही देखने में अच्छी लगती हो किन्तु प्रकाशमिति, प्रकाशयंत्र को लगाने तथा वैद्युत खपत की दृष्टि से यह अधिक सक्षम नहीं है। दुर्भाग्यवश, म्यूनिसिपल प्रशासन में इस सेवा को कम महत्व दिया गया तथा गलियों में प्रकाशीय व्यवस्था को गैर योजनागत तरीके से लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप, नगरों में प्रकाशीय व्यवस्था असमान, अक्षम तथा अभावपूर्ण स्थिति में आ गयी। इससे दूसरी हानि यह हुई कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पूंजीगत रूप से, उसे चलाने तथा देखरेख में अधिक खर्च वहन करना पड़ा।

बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रकाशीय व्यवस्था को सुधारने का सार्थक प्रयास किया है जिससे विद्युत खपत को न्यूनतम तथा विद्युत क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाया जा सका है।

प्रकाशीय व्यवस्था में सुधार का विवरण

बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बमूका) ने समरूप प्रकाशीय व्यवस्था के साथ साथ अधिक सक्षम ऊर्जा खपत की आवश्यकता को महसूस किया। इस नई पहल के अन्तर्गत, बमूका ने वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध तरीके से आम रास्तों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु बने कोड IS 1944 (भाग I-II) एवं, 1970 को ध्यान में रखकर नये सड़कों से संबंधित गलियों में प्रकाशीय व्यवस्था को विकसित करने का फैसला किया। ऊर्जा सक्षम गली प्रकाशीय व्यवस्था को लागू करने के लिये बमूका ने निम्न उद्देश्य निश्चित किये हैं -

- प्रकाशीय उपकरण की जगह प्रकाशीय प्रबंध की व्यवस्था
- समय प्रबंधन द्वारा उर्जा की बचत
- ऊर्जा सक्षम लैंप तथा प्रकाशीय उपकरणों का चयन

उपरोक्त अद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बमूका ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं-

- गली प्रकाशीय व्यवस्था हेतु कॉरपोरेशन द्वारा अपनाये गए वर्तमान प्रारूप, व्यय, उपकरण तथा तकनीक का अध्ययन करना
- सरकारी प्रकाशीय व्यवस्था हेतु निर्धारित मानदण्ड को ध्यान में रखकर नयी विकास योजनाओं को लागू करना

- बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लैंपों तथा प्रकाश पूँजों का मूल्यांकन करना
- डिज़ाइन की क्षमता रखनेवाले एजेन्सियों का चयन करना
- जलाने एवं बुझाने की क्रिया तथा स्वचालित रूप से निश्चित समय पर जलाने और बुझाने के लिये कालमापी उपकरण लगाना
- बमूका ने प्रकाशीय उपकरण की अवधारणा की जगह प्रकाशीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

आवश्यक एवं समरूप प्रकाशीय चमक के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिससे पूंजीगत खर्च एवं विद्युत ऊर्जा की बचत हो सके, आम रास्तों पर प्रकाशीय व्यवस्था हेतु बने कोड IS 1944 (भाग I एवं II), 1970 के आधार पर बमूका ने प्रकाशीय डिज़ाइन से संबंधित ठेके आमंत्रित किये हैं।

उपलब्ध परिणाम

- उपलब्ध परिणामों से यह संकेत मिलता है कि विद्युत व्यय भार तथा विद्युतीय खपत में 33% की बचत हुई।
- स्थायी रूप से विद्युत खपत में कमी के साथ-साथ पूंजीगत मूल्य में 22% की बचत का लक्ष्य प्राप्त हुआ।
- कम परिवहन घनत्व वाले मार्गों पर 11 बजे रात्रि के बाद प्रकाशीय नियंत्रण के कारण बमूका ने 29.1% विद्युत बचत का लक्ष्य प्राप्त किया।
- करीब 1.59 मिलियन KWh विद्युत की बचत के कारण लगभग 197 टन कार्बन डायक्साइड के निष्कर्षण को कम किया जा सका।
- डिज़ाइन आधारित प्रकाशीय व्यवस्था को लागू करने के कारण बमूका के कुल विद्युत खपत में 52.50% की बचत हुई।
- इसका तात्पर्य यह है कि, 21 प्रमुख सड़कों पर गली प्रकाशीय व्यवस्था में आये कुल खर्च जो 21.1 मिलियन रुपये हैं, उसे विद्युत बचत के रूप में 54 महीने के अंदर वापिस पाया जा सकता है।
- चालकों की सुरक्षा में वृद्धि हेतु रात्रि के दौरान मोटर गाड़ियों के औसत गति को बढ़ा दिया गया जिससे मोटरगाड़ियों के ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा कुछ अंश तक प्रदूषण की मात्रा को कम करना संभव हो सका है।
- सड़कों को चौड़ा करके मध्य से विभाजित करने एवं प्रकाशीय चमक में वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ हद

तक कमी आई है। ग्रीन हाउस गैसों के निकास को भी न्यून करना संभव हो सका है।

3. नगर योजना प्रणाली के क्रियाविधि को अपनाकर नगरीय वृद्धि का नियंत्रण

पहल के पूर्व की स्थिति

नगर के बाहरी क्षेत्र के कृष्य भूमि का नगरीय उपयोग के लिये बुद्धिमतापूर्ण उपयोग होना आवश्यक है। यदि समय रहते ऐसा नहीं हो पाया तो बाहरी क्षेत्र में अनियंत्रित एवं बिना नगरीय सुविधा के ही बेतरतीब रूप में नगरीय विकास हो जाएगा; जिसके फलस्वरूप, लंबे समय तक भारी कीमत चुकानी होगी तथा नगर की क्षमता एवं उसके जीवनकाल पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिये इस प्रक्रिया का व्यवस्थापन एक सक्षम तथा सुव्यवस्थित नगरों के निर्माण में एक बड़ी चुनौती है। नगरीय विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय नगरीय निकाय बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण तथा नगर नियोजन से संबंधित स्कीम चलाते हैं ताकि नगरीय सेवा युक्त भूमि के माँग की पूर्ति हो सके।

गुजरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगरीकृत राज्य है जो 1917 से ही नगरीय विकास को व्यवस्थित करने हेतु नगरीय योजना स्कीम को अपना रहा है। इस स्कीम का प्रावधान गुजरात नगरीय योजना एवं नगरीय विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत है।

इसके बावजूद इस प्रक्रिया में कुछ त्रुटियाँ मौजूद हैं -

- इस अधिनियम में स्कीम को पूरा करने हेतु समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिये विकास की जरूरतों को पूर्ण करने हेतु योजनाओं की तैयारी में बहुत अधिक समय लगा। उदाहरणस्वरूप, 1978 से 1999 के बीच, 21 वर्षों के लंबे अंतराल में मात्र 18 नगरीय विकास स्कीम ही तैयार हो सकीं।
- अधिनियम में यह बताया गया है कि सड़क या अधःसंरचना से संबंधित कार्य भी राज्य सरकार से अंतिम रूप से स्वीकृति मिल जाने के बाद ही हो सकता है। यह समय लगने वाली प्रक्रिया है जिसमें कानूनी विवादों के कारण अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।
- सामाजिक अधःसंरचना में सुधार हेतु विकास योजना में आरक्षण का उपयोग नहीं हो रहा है; क्योंकि, प्राधिकरण के पास भूमि अधिग्रहण हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
- स्कीम के अंतिम रूप से स्वीकृत होने के बाद ही भूस्वामियों से सुधार शुल्क के रूप में वित्तीय संसाधन जुटाया जा सका। शुल्क के आकलन की दर का निर्धारण स्कीम के आरंभिक दौर में तय किया गया जिसमें क्रियान्वयन के दौरान वृद्धि हो

गई; जिस कारण, संसाधन अप्रयोज्य हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ प्रक्रियागत समस्याएँ भी थीं।

- योजना के प्रारूप की तैयारी के पूर्व स्थलाकृतिक एवं भू-कर सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया गया; जिस कारण, अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी हुई तथा योजना विलम्ब से पूरी हुई।
- संगठन के अन्दर कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या तथा संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण नगर योजना स्कीम के तैयारी में बाधा पहुँची।

इसका परिणाम यह हुआ कि बाहरी क्षेत्रों में बेतरतीब रूप से नगरीय विकास होता रहा। लोग नगरीय सुविधा विहीन क्षेत्रों में ही रहने लगे; जहाँ, अधःसंरचना का विकास बहुत बाद में हुआ।

पहल का विवरण

अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण ने नगर के बाहरी क्षेत्र में अव्यवस्थित नगरीय विकास की समस्या के समाधान तथा योजनाबद्ध विकास के पूर्व की परिस्थिति को बदलने एवं बसाव से पूर्व अधःसंरचना के विकास का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पुनः नगरीय योजना स्कीम के अन्तर्निहित गुणों से आश्वस्त होकर अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण ने विकास की गति को बढ़ावा देने हेतु अनेक सुधारों की शुरुआत की। प्राधिकरण ने 1999 में राज्य सरकार के समर्थन से गुजरात नगरीय योजना एवं नगरीय विकास अधिनियम, 1976 में अनेक संशोधन किये जो निम्नलिखित हैं -

- 27 महीने के अन्तराल में नगरीय योजना स्कीम के समस्त प्रक्रियाओं की तैयारी तथा उसे अंतिम रूप देने का प्रावधान है।
- स्कीम की घोषणा होने के बाद 15 महीने के अंदर सड़क के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। इससे अव्यवस्थित नगरीय विकास को रोकना तथा स्कीम को तेजी से लागू करना संभव हो सका।
- सुधारात्मक शुल्क में वृद्धि हुई है जो धन से संबंधित न होकर वस्तु से संबंधित है। भूमि के प्रतिशत अंश में भी निरन्तर कमी होती जा रही है। अधिक कटौती के कारण प्लाटों से संबंधित 'भूमि बैंक' का निर्माण संभव हुआ है ताकि प्लाटों को बेचा जा सके तथा उस खर्च से अधःसंरचना के विकास का प्रावधान हो सके। इससे नगरीय योजना स्कीम प्रक्रिया के आन्तरिक स्रोतों से धन जुटाने की प्रक्रिया को बल मिला है। इस कटौती के कारण ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को मकान तथा दूसरी सुविधाएँ देना संभव हो सका है।
- उपलब्ध 'टोटल स्टेशन' उपकरणों की मदद से जिस क्षेत्र को विकसित करना है उसका स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करना सभी

योजना ऐजेंसियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार योजना प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले आधार मानचित्र सही बन गए जिससे क्रियान्वयन के दौरान आनेवाली व्यवहारिक समस्याओं को कम किया जा सका।

- v) कम्प्यूटरीकरण के बाद अब नगरीय योजना की तैयारी का कार्य यथार्थ रूप से शीघ्रता पूर्वक होने लगा है।
- vi) नगरीय योजना प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कार्यों को गैर सरकारी परामर्शदाताओं/ऐजेंसियों को सौंप दिया गया है जिससे प्रक्रियागत कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है।

अपने संशोधित विकास योजना, 2011 में, अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण ने क्रमिक रूप से फेज के अनुसार 148 नगरीय योजना स्कीम पर विचार किया है जिसमें 190 वर्ग कि.मी. भूखंड शामिल हैं जिन्हें 5-6 वर्षों में विकसित करना है। गुजरात नगरीय योजना एवं नगरीय विकास में सुधार की शुरुआत के साथ ही 1999 से अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण ने तीन वर्षों के अंदर 48 नगरीय विकास योजना तैयार की है जिसमें 5000 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। ये भूमिखंड अनविप्रा की सीमा के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त, 76 नगर विकास स्कीम पर कार्य चल रहा है; जिसमें करीब 7600 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इस प्रकार अनविप्रा सफलतापूर्वक नगर विकास स्कीम के कार्यविधि में जान फूँकने तथा तेजी से होनेवाले अनियंत्रित नगरीय विकास को रोकने में सफल हुआ है। पिछले 21 वर्षों के अन्तराल में मात्र 18 नगर विकास योजना के लागू होने के परिणाम को देखते हुए यह एक अप्रत्यासित सफलता है।

उपलब्ध परिणाम

- कर्मचारियों की प्रबंधकीय, प्रशासकीय एवं तकनीकी क्षमता में सुधार
- योजनात्मक कार्यों से जुड़े कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं उनकी दक्षता में वृद्धि
- स्कीम की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्राधिकरण के तकनीकी क्षमता में सुधार आया है जो 3 वर्षों के अंदर 48 स्कीम के तैयारी में प्राप्त सफलता को देखते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
- सेक्टर नीति, विधायी प्रक्रिया तथा कानूनों के निर्माण पर प्रभाव

राज्य स्तर पर इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक प्रभाव भूमि विकास नीति एवं कानूनों के निर्माण पर पड़ा। अनविप्रा ने नगर विकास स्कीम प्रक्रिया में जान फूँकने के लिये अनेक प्रभावकारी कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नगरीय विकास स्कीम के निर्माण एवं क्रियान्वयन में लगनेवाले औसत समय में कमी आई है। अब विकास

प्राधिकरण सड़क तथा संबंधित कार्यों के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नगर विकास स्कीम प्रारूप के स्वीकृत होने के साथ ही कर सकती है। इस प्रकार, अधःसंरचना के विकास से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करना तथा योजनागत रूप से नये विकास को गति देना संभव हो सका है। प्राधिकरण द्वारा संपत्ति के आधार को सुदृढ़ करने के लिये भूमि बैंक की स्थापना एक प्रभावी कदम था जिससे आम लोगों को अधःसंरचना एवं दूसरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना संभव हो सका। इसके क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों को दूसरे स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान समय में गुजरात के अधिकांश विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय नगर निकाय, नगर विकास स्कीम के क्रियाविधि को अपनाकर जहाँ कहीं भी संभव हो खाली भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। गुजरात नगरीय योजना एवं नगरीय विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सुधारों को लागू करके अनविप्रा ने नगर विकास स्कीम प्रक्रिया को सफलतापूर्वक तेजी से लागू करने तथा साफ भूमि के मांग को समय पर पूरा करने में सफलता पाई है। चूंकि यह अधिनियम पूरे गुजरात में लागू है। इसलिए, अनविप्रा द्वारा जारी सुधारों द्वारा गुजरात के नगरों में नगरीय विकास की प्रक्रिया को सक्षम रीति से नियंत्रित करना संभव हो सका है।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रभावों का मूल्यांकन

मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण, सामुदायिक भागेदारी तथा नागरिक जागरूकता में वृद्धि द्वारा विकेन्द्रीकरण एवं स्वच्छ प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अग्रगामी कदम उठाया है। उपरोक्त कदमों से अछूते, अनेक राज्यों के पिछले कदम ग्राम-केन्द्रित थे; जिसमें, नगरों को अपने गिरते अधःसंरचना, बढ़ते नगरीय गरीबी एवं मलिन जनसंख्या में वृद्धि, जल आपूर्ति में आने वाली समस्या, कचड़ों के प्रबंधन, वायु प्रदूषण एवं संसाधनों को मुहैया कराने में आने वाली समस्याओं से जकड़ने के लिये छोड़ दिया गया था

सेन्टर फॉर नॉलेज मैनेजमेन्ट एण्ड गुड गवर्नेंस, आर सी वी पी नोरोन्हा ऐकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल ने 74वें संवैधानिक संशोधन के क्रियान्वयन के फलस्वरूप नगरीय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में, राजनीतिक विकेन्द्रिकरण प्रक्रिया, राज्य सरकार के कार्य एवं कोष के हस्तान्तरण तथा स्थानीय प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। उसमें प्रतिनिध्यात्मक एवं भागीदारी प्रशासन से जुड़े आधारभूत अवधारणात्मक मुद्दों जिनमें नगर भी सम्मिलित हैं का विस्तार से अध्ययन किया गया।

यह अध्ययन 42 स्थानीय नगरीय निकायों में किया गया, जिनमें मध्यप्रदेश के 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 12 नगरपालिका एवं 24 नगर पंचायतों को शामिल किया गया। इसमें उन उपायों के बारे में बताया गया है जिससे नगरीय प्रशासन हेतु विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाये।

इस अध्ययन की मुख्य अनुशंसा निम्नलिखित हैं -

संवैधानिक मुद्दे

- म्यूनिसिपल निकायों से संबंधित राज्य के कानूनों के अन्तर्गत कुछ मानदण्डों को निश्चित करना आवश्यक है, ताकि राज्य के बसाव स्थल के रूप में नगर क्षेत्र को डिज़ाइन करना संभव हो सके। इससे नगरीकरण एवं नगरपालिकाकरण के रूझान एवं प्रक्रिया को नजदीक लाना संभव हो सकेगा जिससे नगरीय प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सके। दूसरी ओर, इससे स्थानीय नगरीय प्रशासन के प्रकार में एकरूपता लायी जा सकेगी; जिससे प्रत्येक नगरीय केन्द्रों के प्रशासन को सुनिश्चित करना संभव होगा।
- राज्य विधानसभा के प्रतिनिधित्व के लिये जो अयोग्यताएँ बतायी गई हैं, वही अयोग्यताएँ चुने हुए प्रतिनिधियों के लिये भी होनी चाहिये।
- संविधान की धारा 243K एवं 243ZA में आवश्यक संशोधन लाया जाय ताकि चुनाव के आयोजन की जिम्मेदारी के अन्तर्गत सभी तैयारी वाले कदमों को समान बनाया जाय, जिसमें चुनाव सूची भी शामिल हो।
- किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिये धारा 243D तथा 243T में उपयुक्त संशोधन किया जाय ताकि सीमांकन के समय में सुविधापूर्वक परिवर्तन किया जा सके; किन्तु, यह परिवर्तन बीच में न हो।
- साझेदारी प्रजातंत्रीय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये वार्डों की संख्या में एकरूपता होनी चाहिये तथा उसे प्रतिनिधित्व के निश्चित न्यूनतम मानदंड से मेल खाना चाहिए।
- संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में राज्य अधिनियम के प्रावधानों के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है; यथा- म्यूनिसिपल निकायों की बैठक में शामिल होने के लिये पदेन सदस्य को या मनोनित सदस्यों को अनुमति दी जाय।
- नागरिक वर्ग में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने हेतु तथा ज़रूरत के हिसाब से संसाधनों के आबंटन को प्रभावित करने के लिये वार्ड समितियों का आकार बड़ा हो।

संस्थानात्मक मुद्दे

- स्थानीय नगरीय निकायों के सलाहकार समिति में व्यवसायिक एवं विशेषज्ञों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इससे स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञता का प्रवेश सुगम

होगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ विशिष्ट परामर्श की आवश्यकता होती है।

- वार्ड, समिति एवं मुहल्ला समिति के बीच के आंगिक संबंध को परिभाषित करना आवश्यक है। इसके लिये प्रत्येक समिति की भूमिका, जवाबदेही एवं कार्यों को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है ताकि पुनरावृत्ति एवं अतिव्याप्ति के दोष से बचा जा सके।
- मेयर के परिषद के सदस्य तथा सलाहकार समिति का गठन चुने हुए सदस्यों में से होना चाहिये न कि मेयर या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों में से।

कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण

संविधान के 12वें अनुसूचि में नगरीय स्थानीय निकायों के कार्य से संबंधित 18 प्रविष्टि हैं। उनमें से 9 कार्यों को राज्य में म्यूनिसिपल निकायों के लिये अनिवार्य रूप से करने योग्य तथा शेष 9 कार्यों को विवेकाधीन बताया गया है। इस बात की अनुशंसा की गई है कि योजनाएँ, जिनमें नगर एवं ग्राम आयोजन भी शामिल हैं, को केन्द्रीय तथा अनिवार्य बना दिया जाय। पुनः म्यूनिसिपल निकायों के लिये मलिन बस्ती सुधार कार्यों की जिम्मेदारी को अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया जाय।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण

- किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण की प्रक्रिया को सारयुक्त बनाने के लिये कार्य, कार्य को अंजाम देने वाले तथा वित्त का एक साथ होना आवश्यक है। ऐसा पाया गया है कि कार्यों तथा वित्त के बीच में असंबद्धता के कारण अनेक परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के म्यूनिसिपल निकायों के वित्तीय हालात में लगभग दिवालियेपन की स्थिति है। 74वें संवैधानिक संशोधन के बावजूद, हमारा संविधान नगरपालिका को टैक्स या राजस्व उगाहने का स्वशासी अधिकार नहीं देता है। इसका निर्धारण तथा नियमन राज्य सरकारें करती हैं।
- चूंकि नगरपालिकाओं का टैक्स संबंधी निश्चित अधिकार क्षेत्र नहीं होता; इसलिए, टैक्स तथा टैक्स की दरों के निर्धारण तथा टैक्स की विमुक्ति से संबंधित राज्य सरकार का नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। यह आवश्यक है कि नगरपालिकाओं के लिये विशिष्ट एवं भिन्न टैक्स निर्धारण की अवधारणा को मान्यता दी जाय।
- लेखा पद्धति के अन्तर्गत, विशेष रूप से, बजट बनाने, वित्तीय रिपोर्ट तथा खर्च के ब्योरे लिखने में एकरूपता तथा जहाँ तक संभव हो कम्प्यूटरीकरण होना चाहिये। इससे न सिर्फ पारदर्शिता सुनिश्चित होगी वरन वित्तीय आंकड़े नागरिकों एवं प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सहज हो जाएगा।

- स्थानीय नगरीय निकायों के राजस्व संबंधी स्वशासी अधिकारों में सुधार लाने के लिये एक दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक व्यापक रणनीति के अन्तर्गत इन निकायों में अन्तर्संरकारी हस्तान्तरण होना चाहिए।

निष्कर्ष

विकेन्द्रीकरण का कार्य एक निश्चित सशक्तिकरण के ढांचे के अन्तर्गत होता है जो प्रतिनिधि से भागेदारी प्रजातंत्र की ओर चलता है। इस अर्थ में यह स्थानीय प्रजातांत्रिक क्रिया-कलाप को दृढ़ता तथा गहराई प्रदान करता है। इस प्रकार, इसे केन्द्रीयकरण की बुराई से बचाने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में नहीं देखना चाहिए। मध्यप्रदेश में, संरचना एवं प्रणाली को एक सुर में लाने का प्रयास किया गया है जिससे प्रजातांत्रिक भावना को बढ़ाया जाय तथा स्थानीय

नगरीय निकायों की भूमिका, जवाबदेही, अधिकार एवं कार्यों को परिभाषित किया जा सके। कुशल एवं प्रभावी सेवा प्रदान करनेवाले दृष्टिकोण से अच्छे प्रशासन के कारकों को विस्तृत कर उनमें नागरिक सशक्तिकरण के मुद्दों को भी शामिल करना चाहिये। दूसरा दृष्टिकोण, एक लंबे प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें संस्थागत निष्ठा तथा उन प्रक्रियाओं के प्रति दृढ़ता शामिल है जिससे नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, उसे मजबूती प्रदान करना तथा गहराई देना संभव हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उस प्रतिमान में बदलाव की आवश्यकता है जिससे आम नीतियाँ बनायी जाती तथा नागरिक अधिकार क्षेत्र में विचार किये जाते हैं। भागीदारी प्रक्रिया का लक्ष्य लंबा हो सकता है, किंतु यह रूकावटों एवं गढ़ों से भरा हुआ नहीं है जैसा कि प्रतिनिध्यात्मक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अक्सर देखने में आता है।

श्रोत: प्रो० एच.एम. मिश्रा (हुडको चेर) सेन्टर फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड गुड गवर्नेंस, आर सी वी पी नोरोन्हा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल

सिटीज़ फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम (सी सी पी)

यह इन्टरनेशनल कॉन्सिल फॉर लोकल इन्वायर्नमेंटल इनिशिएटिव (इकली) द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है जिसे यूसेड (यू एस ए आई डी) द्वारा भारत में 2001 में चलाया गया। इस संबंध में यूसेड ने 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ज्ञापन संधि पर हस्ताक्षर कराये, जो निम्नलिखित हैं - आन्ध्रप्रदेश से गुण्टूर एवं हैद्राबाद; मध्यप्रदेश से जबलपुर; पश्चिम बंगाल से कोलकता; पंजाब से लुधियाना; महाराष्ट्र से सांगली तथा गुजरात से बड़ोदरा। सिटीज़ फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से इकली विश्व भर के स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय एवं नगरीय व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का नवोत्पादक, सस्ता एवं प्रभावी समाधान ढूँढना है। यह जलवायु को प्रदूषित करनेवाले ग्रीन हाउस गैसों के फैलाव से होनेवाली समस्याओं का भी हल ढूँढता है।

स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर सी सी पी प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका उद्देश्य नगरीय व्यवस्था में सुधार लाना तथा आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अच्छे जीवन की परिस्थिति से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। ऐसा करने के साथ ही यह अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के प्रसार को कम करने या समाप्त करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। पुनः यह कार्यक्रम उन कदमों पर भी जोर देता है जिससे तात्कालिक नगरपालिका समस्याओं का हल हो सके तथा स्थानीय सरकार के व्यय को कम किया जा सके; जैसे, विद्युत सक्षमता में सुधार; विशेष रूप से गली एवं नगरपालिका भवनों में प्रकाशीय व्यवस्था, जल शुद्धिकरण एवं पम्प व्यवस्था आदि। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य हैं - जीवन स्तर में सुधार एवं खर्च में कमी लाने के लिये विद्युत क्षमता में वृद्धि करना एवं सामुदायिक आवासों तथा भवनों में युक्ति युक्त रूप से विद्युत संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना। इसके साथ ही, उन साधनों को अपनाना जिससे वायु के

प्रदूषण के स्तर में सुधार हो, यातायात एवं भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान हो तथा कचड़े के व्यवस्थापन में सुधार हो।

यह कार्यक्रम नगरपालिकाओं को स्थानीय आर्थिक, पर्यावरणीय एवं नगरीय व्यवस्था के लाभों के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करता है जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित उर्जा की खपत कम की जा सके तथा उर्जा संसाधन के उपयोग के स्तर में भी सुधार हो। इन क्रिया-कलापों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के प्रसार को सीमित कर जलवायविक परिवर्तन के स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

नगरीय क्षेत्रों में, ग्रीन हाउस गैसों के प्रसार के प्राथमिक स्रोत उर्जा के उपयोग, यातायात एवं कचड़ा व्यवस्थापन की क्रिया से संबंधित हैं, जिनसे भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि होती है तथा व्यापक रूप से जलवायु परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रसार को सीमित करने, रोकने या समाप्त करने वाले उपायों को अपनाकर ही वायु प्रदूषण द्वारा होने वाले निस्सरण को सीमित, वायु के गुणवत्ता स्तर में सुधार तथा नगरपालिका के पर्यावरण एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

नगरों में पर्यावरणीय, नगरीय व्यवस्थापन तथा स्थानीय कार्यक्रम 21 से संबंधित योजनात्मक प्रक्रियाओं की तैयारी आरंभ हो चुकी है। सी सी पी प्रोग्राम के अंग के रूप में स्थानीय सरकारों द्वारा किये जाने वाले कार्य, वर्तमान समय में चलने वाले कार्यक्रमों से गहरे रूप से जुड़े हैं या उनमें शामिल किये गये हैं।

सी सी पी प्रोग्राम के द्वितीय चरण में 21 में से 9 नगरों का चयन किया गया है। ये नगर हैं - आगरा, ग्वालियर, देहरादून, मद्राई, कोयम्बटूर, उदयपुर, शिमला, भुवनेश्वर एवं गौहाटी।

स्रोत : यूसेड, इंडिया

उपयोग शुल्क को तर्कसंगत बनाने की ओर बढ़ाए कदम: जल आपूर्ति एवं मल-जल शुल्क में सुधार हेतु पंजाब का प्रयास

पंजाब भारत का पाँचवां तथा भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों यथा हरियाणा, जम्मू एवं काश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगरीकृत राज्य है। गैरयोजनाकृत एवं असंगत रूप से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण पंजाब के नगरीय अधःसंरचना एवं नगरपालिका सेवाओं में त्रुटि आ गई है। सामायिक रूप से जल की आपूर्ति एवं मल-जल शुल्क में संशोधन न होने के कारण उत्पन्न समस्याओं से पंजाब के स्थानीय नगरीय निकाय जूझ रहे हैं। इस क्रियान्वयन एवं व्यवस्थामन की सेवा के प्रति अन्यायसंगत रूप से होने वाले राजस्व की हानि के फलस्वरूप स्थानीय नगरीय निकायों के राजस्व संबंधी क्षेत्र तथा जल आपूर्ति एवं मल-जल संवर्धन से संबंधित विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

पहल के शुरूआती दौर में, जल आपूर्ति एवं मल-जल सेवा से होनेवाली आय में स्थिरता आ गई है। पंजाब के कुल आय में जल आपूर्ति एवं मल-जल शुल्क से होने वाले प्रतिशत आय में कमी आई है जो 1996-97 में 7.71 प्रतिशत के स्तर से घटकर 1997-98 में 7.27 प्रतिशत हो गयी है। प्रथम पंजाब वित्त आयोग (1995) के अनुसार, नागरिक सेवा में सुधार हेतु स्थानीय नगरीय निकायों ने उपयोग शुल्क से संबंधित सिद्धांतों को सही रीति से क्रियान्वित नहीं किया तथा व्यापक रूप से छूट तथा लगभग मुफ्त में सेवाएँ दी गईं। छोटे तथा मंझोले आकार के शहरों में उपयोग शुल्क का संशोधन मार्च, 1993 में हुआ; जबकि कॉरपोरेशन नगरों में यह सुधार 1999 एवं 2000 के बीच हुआ।

छोटे एवं मंझोले स्थानीय नगरीय निकायों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपयोग शुल्क बहुत कम था, जिससे क्रियान्वयन एवं व्यवस्था से संबंधित व्यय का बहुत छोटा अंश शुल्क के रूप में प्राप्त हो सका। सभी स्थानीय नगरीय निकायों ने संशोधित जल आपूर्ति एवं मल जल निकास शुल्क की दरों को लागू नहीं किया। अधिकांश कनेक्शन बिना मीटर के थे जिसमें अबाध रूप से सेवाएँ दी गईं; जिसके फलस्वरूप, इसका अपव्यय हुआ तथा इस पर अनावश्यक खर्च आए। बकाया राशि के रूप में जल एवं मल-जल शुल्क के जमा होने के कारण स्थानीय नगरीय निकायों का राजस्व संबंधी क्षेत्र प्रभावित होता आ रहा है। समान्य कार्डधारियों की तुलना में पीले कार्डधारियों द्वारा वसूले

जानेवाले शुल्क की दर नाममात्र तथा वास्तविक क्रियान्वयन एवं व्यवस्थापन में आये खर्च का बहुत थोड़ा अंश था। यद्यपि कॉरपोरेशनों में शुल्क की दरों को संशोधित किया गया है; किंतु, अभी भी मूल्य निर्धारक प्रक्रिया में अनेक कमियाँ व्याप्त हैं; जैसे, सामायिक संशोधन की कमी, क्रियात्मक एवं व्यवस्थापक कमियाँ तथा आरोपित बोझों के प्रति व्यर्थतापूर्ण व्यय आदि। आयतनी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर जोर न देने के कारण व्यय उगाही प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

अधिसंख्यक नगरपालिकाओं में स्थिति गंभीर थी। उनमें से अधिकांश, कुल क्रियात्मक एवं व्यवस्थापन खर्च का एक चौथाई अंश भी नहीं उगाह पा रहे थे। इसलिये नगर नीति निर्माताओं ने तत्काल हस्तक्षेप का फैसला लिया।

पंजाब सरकार ने उपयोग शुल्क को 2003 में तर्कसंगत बनाया तथा सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काँसिल तथा नगरपंचायतों को संशोधित दर से जल एवं मल-जल शुल्क के वसूली को लागू करने का निर्देश दिया। इस संबंध में स्थानीय निकाय जल की गुणवत्ता तथा न्यूनतम आपूर्ति समय को सुनिश्चित करेगी। क्रमिक रूप से शुल्क निर्धारण तथा शुल्क जमा करने वाले कार्यों का गैर सरकारीकरण किया जाएगा। निर्धारित मानक सेवा उपलब्ध कराने, शुल्कों के कम्यूटरीकरण, आपूर्ति के समय तथा शिकायतों की स्थिति को जानने के लिये वेब-साइट बनाया जाएगा। शक्ति के वर्तमान स्रोत में अतिरिक्त स्रोतों को भी जोड़ा जाएगा। ऐसा अनुमान है कि उपर्युक्त दरों के लागू हो जाने पर क्रियात्मक एवं व्यवस्थापन व्यय जो 2000-01 के कुल आय का 46.67 प्रतिशत था, के उगाही के स्तर को बढ़ाकर 2006-07 तक 100 प्रतिशत तक लाया जा सकेगा। पुनः 2007-08 तक अतिरिक्त आय सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसका उपयोग पूँजीगत कार्यों के लिये धन उपलब्ध कराने में होगा।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दर विकासोन्मुख है जिसमें वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है। निश्चित रूप से सामायिक संशोधन प्रणाली एक नवोत्पादक विधि है जिसे दूसरे राज्यों के स्थानीय नगरीय संस्थाओं द्वारा अपनाया जा सकता है तथा जिसके द्वारा 100 प्रतिशत क्रियात्मक एवं व्यवस्थापक व्यय को क्रमिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

पंजाब स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा शुरू किये गये सुधारों के क्रियान्वयन द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों को अतिरिक्त संसाधन उगाहने में सक्षम बनाया गया है ताकि वे उस धन का उपयोग नगरीय अधःसंरचना/म्यूनिसिपल सेवा के विकास में कर सकें।

स्रोत: श्री मनोज टिटोटिया, एमिस्टेंट प्रोफेसर हुडको चेयर, सी आर आर आई डी, चंडीगढ़

नगरीय वित्त की प्राप्ति के लिये, कृपया नीचे दी गई सूचना भरें तथा पीछे दिये गये पते पर भेजें।

नाम.....
व्यवसाय.....
संस्थान.....
पता.....
फोन..... फैक्स.....

संक्षेप में नगरीय अधःसंरचना विकास समाचार

- **आंध्र प्रदेश के लिये विश्व बैंक द्वारा जारी 220 मिलियन डॉलर का पैकेज :** बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास एवं गरीबी नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्व बैंक ने आंध्रप्रदेश के लिये 220 मिलियन डॉलर का दूसरा आर्थिक ऋण स्वीकृत किया है। ऐसा राज्य के वित्तीय स्थिति को लंबे समय तक कायम रखने के लिये किया गया है।
- **आई वी आर सी एल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड** को 787.9 मिलियन रुपये का तीन प्रोजेक्ट गुजरात जल आपूर्ति एवं मल-जल बोर्ड द्वारा मिला है। एशियाई विकास बैंक ने तीन महत्वपूर्ण पाइप लाइन बिछाने के लिये धन उपलब्ध कराया है; प्रथम, 172.6 मिलियन रुपये की लागत से जामनगर जिले (खालजादिया) से मोतीखावदी तक; द्वितीय, 337.6 मिलियन रुपये की लागत से रतनपुर से राजकोट जिला के पंचदेवता तक एवं तृतीय, 227.7 मिलियन रुपये की लागत से पंचदेवता से कल्याणपुर एवं समाना एवं समाना से द्वारिका जिले के खाम्बालिया तक।
- **एशियाई विकास बैंक द्वारा घोषित 200 मिलियन डॉलर का ऋण:** मध्य प्रदेश के छः बड़े शहरों में आधारभूत सेवाओं में सुधार हेतु यह ऋण जारी किया गया है। नगरीय जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार योजना द्वारा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम एवं उज्जैन में अधःसंरचना में सुधार एवं विस्तार किया जाएगा; जिसमें जलापूर्ति, जलनिकास एवं जल-मल निकास शामिल हैं।
- **नवीनतम म्यूनिसिपल श्रेणीक्रम:**
 - क्रिसिल (सी आर आई एस आई एल) एक क्रेडिट श्रेणीक्रम निर्धारक एजेन्सी है जिसने थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाँड कार्यक्रम को 'AA (So)' श्रेणीक्रम दिया है। यह श्रेणीक्रम समय पर लाभांश की अदायगी तथा ऋण देनेवाले एजेन्सी के प्रति आभार को दर्शाता है।
 - चेन्नई महानगर जलापूर्ति एवं मल-जल बोर्ड के बाँड कार्यक्रम को क्रिसिल द्वारा 'AA (So)' श्रेणीक्रम दिया गया है।
 - क्रिसिल ने हैदराबाद महानगर जलापूर्ति एवं मल-जल बोर्ड के लंबी अवधि वाले ऋण कार्यक्रम को उपयुक्त सुरक्षा श्रेणी क्रम दिया है।

संपादक
नगरीय वित्त
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर 4-बी, I व II मंजिल, इंडिया हैबिटाट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
फोन: 91-11-24617543, 24643284, 24617517
फैक्स: 91-11-24617513
ई-मेल: niua@vsnl.com

इंडो-यूएस प्रोजेक्ट, यू.एस.ए.आई.डी द्वारा समर्पित फाइनेंसियल इन्सटीच्युशनल रिफार्मस एण्ड एक्सपेंशन (FIRE-D)

संपादक: डा० एम पी माथुर; सहायक सम्पादक: नलिनी शांग्लू, डा० राजेश चन्द्रा एवं हितेश वैद्या; अनुवादक: डा० बरुण कुमार; सचिव स्तर पर सहायक: दुर्गा गोपालानी एवं मीरा भागचंदानी